

FROM No. -III  
फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम आगुँचा

राजू पिता देबीलाल भील वगैरा  
निवासी- भगवानपुरा

बनाम मदन पिता बगतावर भील वगैरा  
निवासी- रुपाहेली

किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रेवे. एक्ट प्रकरण संख्या-583/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.06.2018	<p>प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नहीं होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा तहसील हुरडा की आराजी नं 5691 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा , आराजी नं. 5516, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5525, 5546, 5547, 5548, 5549 किता 12 रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा , आराजी नं. - 5540, 5541, 5542 किता 3 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।</p> <p style="text-align: center;"><b>सत्यमेव जयते</b></p> <p>प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा तहसील हुरडा की आराजी नं 5691 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा , आराजी नं. 5516, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5525, 5546, 5547, 5548, 5549 किता 12 रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा , आराजी नं.- 5540, 5541, 5542 किता 3 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक- हुरडा को 5,000/-रूपये (अक्षरे- पाँच हजार रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।</p>	<p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा केम्प</p>

